

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 28 मार्च, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 76वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की छिहत्तरवीं (76वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 28 मार्च, 2017 को अपराह्न 3 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची (अनुबंध 1) के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 76.1 : नए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए (4 प्रस्ताव)

(i) ग्राम तलोई, तालुक भिवंडी, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 300 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स राज बिल्ड इनफ्रा एलएलपी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 300 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम तलोई, तालुक भिवंडी, जिला थाणे, महाराष्ट्र में मुक्त व्यापार वेयरहाउस क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) स्थापित करने के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की कि भूमि का अधिग्रहण करते समय तथा भारत सरकार का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व विकासक भारत सरकार के लागू एसईजेड दिशानिर्देशों सहित भूमि तथा अन्य संबद्ध मामलों के संबंध में विभिन्न अधिनियमों / नियमावलियों / विनियमों एवं आदेशों के तहत राज्य सरकार की सभी विधिक आवश्यकताओं का पालन करेगा।

(ii) ग्राम बहरामपुर एवं बनोला, तहसील सोहना, जिला गुडगांव, हरियाणा में 10.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड संयुक्त रूप से स्थापित करने के लिए मैसर्स मेट्रो इनफोसिटी मैसर्स लिमिटेड, मैसर्स जमीदार रियलकॉम प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स लाव्या रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम बहरामपुर एवं बनोला, तहसील सोहना, जिला गुडगांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक अनुदेश संख्या 27 दिनांक 18 अगस्त 2009 के अनुसार सन्निकटता की शर्त की पूर्ति के अधीन एसईजेड के प्रावधानों के तहत एसईजेड की सन्निकटता स्थापित करेगा और विकासक को एसईजेड की अधिसूचना के समय यह दर्शाना होगा कि सन्निकटता की आवश्यकता को किस तरह पूरा किया जाएगा।

(iii) ग्राम अतिपट्ट, नांदियांबक्कम और पुलुडीवक्कम, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 46.71 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स वेंकटेश कोक एंड पावर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 46.71 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम अतिपट्ट, नांदियांबक्कम और पुलुडीवक्कम, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में मुक्त व्यापार मालगोदाम क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) स्थापित करने के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि एसईजेड की अधिसूचना से पूर्व 6.5 करोड़ रुपये की भारग्रस्तता का निस्तारण किया जाएगा तथा अनुदेश संख्या 27 दिनांक 18 अगस्त 2009 के अनुसार सन्निकटता की शर्त का पालन किया जाएगा और विकासक को एसईजेड की अधिसूचना के समय यह दर्शाना होगा कि सन्निकटता की आवश्यकता को किस तरह पूरा किया जाएगा।

(iv) सर्वे नंबर 35/पार्ट और 36, गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 2.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए और एसईजेड में मैसर्स मैगनम आईटी सोसाइटी को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स फिनिक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 35 / भाग और 36, गाचीबोवली ग्राम, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी तेलंगाना में 2.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(ख) विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स मैगनम आईटी सोसाइटी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। प्रस्तावित सह विकासक प्लग एंड प्ले परिवेश का सृजन करने के लिए आवंटित निर्मित क्षेत्र के उन्नयन में निवेश करेगा। इसके अलावा सह विकासक एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 372500 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित स्थान का प्रचालन एवं अनुरक्षण भी इस शर्त के अधीन करेगा कि एसईजेड अनुमोदित एवं अधिसूचित हो गया है।

मद संख्या 76.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध (14 प्रस्ताव)

(i) ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में मैसर्स अशिया नार्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अशिया टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 51,840 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में 5 मालगोदाम के निर्माण, मालगोदाम के प्रचालन एवं अनुरक्षण लिए मैसर्स अशिया टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(ii) ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में मैसर्स अशिया नार्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स रुद्रदेव प्रापटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में प्रसंस्करण क्षेत्र में 31,104 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में 3 मौजूदा मालगोदामों (मालगोदाम संख्या 52, 53 और 54) के प्रचालन एवं अनुरक्षण लिए मैसर्स रुद्रदेव प्रापटीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iii) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 3, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स भाटे एंड राजे कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में प्रसंस्करण क्षेत्र में 7293 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवनों एवं संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए स्थान के विकास तथा सभी डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स भाटे एंड राजे कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iv) ग्राम साई, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स अशिया लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अशिया लाइफ स्टाइल लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एग्जिम कार्गो के भंडारण के लिए मैसर्स अशिया लाइफस्टाइल लिमिटेड (इस कंपनी ने एफटीडब्ल्यूजेड में 5 मालगोदामों के निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के

क्षेत्र में कदम रखा है तथा फिलहाल उनके नए मालगोदारों के निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए विकासक के साथ करार किया है) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(v) अट्टिप्रा गांव, तिरुवनंतपुरम, में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क - केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स जफीन इंप्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 1 एकड़ के क्षेत्रफल में आईटी सेक्टर के उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स जाफीन इंप्रा प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(vi) ग्राम ननक्रामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स जेल आईटी सोसाइटी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स जेल आईटी सोसाइटी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। प्रस्तावित सह विकासक प्लग एंड प्ले परिवेश का सृजन करने के लिए आवंटित निर्मित क्षेत्र के उन्नयन में निवेश करेगा। इसके अलावा सह विकासक एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 6,55,600 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित स्थान का प्रचालन एवं अनुरक्षण भी करेगा।

(vii) ग्राम ननक्रामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ओरिक्स आईटी सोसाइटी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स ओरिक्स आईटी सोसाइटी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। प्रस्तावित सह विकासक प्लग एंड प्ले परिवेश का सृजन करने के लिए आवंटित निर्मित क्षेत्र के उन्नयन में निवेश करेगा। इसके अलावा सह विकासक एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 1,92,500 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित स्थान का प्रचालन एवं अनुरक्षण भी करेगा।

(viii) ग्राम ननक्रामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स नेक्टर आईटी सोसाइटी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स नेक्टर आईटी सोसाइटी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। प्रस्तावित सह विकासक प्लग एंड प्ले परिवेश का सृजन करने के लिए आवंटित निर्मित क्षेत्र के उन्नयन में निवेश करेगा। इसके अलावा सह विकासक एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 3,48,000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित स्थान का प्रचालन एवं अनुरक्षण भी करेगा।

(ix) सर्वे नंबर 203, ग्राम मणिकोंडा जागीर, राजेंद्रनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अकार्ड आईटी सोसाइटी का अनुरोध

(xiv) अमीनपुर गांव, पाटनचेरू मंडल, मेडक जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स लिविंग स्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ओमिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार तथा एसईजेड की अधिसूचना के अनुसरण में 250000 वर्गफीट के क्षेत्र में कार्यालय तल, पालम स्पेस, दीवार, पेरीमीटर ग्लास / वाल, ग्राउंड एवं फ्लोर लॉबी, शौचालय क्षेत्र तथा अन्य समर्पित क्षेत्रों या सेवाओं या सुविधाओं के लिए समर्पित क्षेत्रों जिसमें सीढ़ियां, लिफ्ट, सभी वर्टिकल शाफ्ट तथा कार पार्क स्लाट शामिल नहीं होंगे, के लिए मैसर्स ओमिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 76.3 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (2 प्रस्ताव)

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकले का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती हैं। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

(i) मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को 97 प्रतिशत इक्विटी शेयरों तथा मैसर्स टिडको को शेष इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के लिए मैसर्स मरीन इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपर प्राइवेट लिमिटेड (एमआईडीपीएल) जो कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड के एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने वर्तमान में मैसर्स एलएंडटी लिमिटेड द्वारा धारित 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरों में से 97 प्रतिशत इक्विटी शेयर मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) तथा 3 प्रतिशत इक्विटी शेयर मैसर्स टिडको (तमिलनाडु सरकार का उपक्रम) को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि सह विकासक द्वारा अवसंरचना के लिए कोई और पूंजी व्यय राजकोषीय लाभों के लिए पात्र नहीं होगा, यदि इस अवसंरचना का प्रयोग डीटीए के लिए या दोहरे प्रयोजन के लिए अर्थात् डीटीए और एसईजेड दोनों के लिए किया जाना है।

(ii) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स एक्रेटिव हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जिसकी एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार में विभिन्न एसईजेड में तीन मौजूदा यूनिटें हैं, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव 3 मौजूदा यूनिटों का नाम 'एक्रेटिव हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' से बदलकर 'आरआई आरसीएम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड' करने के लिए है और यह भी कि वर्ष 2009 में यूनिट की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में 50 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन हुआ है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।
- viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

मद संख्या 76.4 : विविध मामले (1 प्रस्ताव)

(i) प्लॉट नंबर टीजेड-06, सेक्टर टेक जोन, गेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस में न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के निर्माण की समय सीमा बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद एजेंडा नोट में उल्लेख के अनुसार विकास आयुक्त, एनएसईजेड के समक्ष विकासक द्वारा उल्लिखित विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने नियम 5 (7) की शर्तों से छूट प्रदान करने के लिए माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के विचारार्थ प्रस्ताव की इस शर्त के साथ सिफारिश की कि इसे भविष्य में दृष्टांत के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा।
